

28/4/25 नियत की गई

28⁰⁴/₂₅ आज यह पंजाबली वेथदुरी बोर्ड भी उप० नहीं। वार-2 आवाज लगावों के वाकजूद भी बोर्ड भी उप० नहीं। पंजाबली 1-02-2025 से साक्ष्य में नियत है। उपरोक्त वाद पत्र में वादी व वादी वकील की कोई कति नहीं है। अतः पंजाबली साक्ष्य हे अभाव में 017R03 के तहत खारिज की जाती है। पंजाबली फाइल शुभारंभ नम्बर से सुप्रीम को दाखिल करवाते हैं।

नफलाह अधिकारी
बहरोह (कोटपतली-बहरोह)